कार्यालय
निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक–09 जून 2023

संख्या– 1964-1969 /जी–428/2022/2023–24

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/ 2017, देहरादून, दिनांक–05 जनवरी 2018 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक–2017 प्रख्यापित किया गया है, के प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधर पर श्रेणी "ग" में निम्नलिखित परिचारिकाओं (स्टफ नर्स) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में उल्लिखित स्थान/चिकित्सालय से स्तम्भ–4 में उल्लिखित स्थान/चिकित्सालय में स्थानान्तरित/समायोजित किया जाता है–

क्र0 सं0	परिचारिका का नाम	वर्तमान तैनाती चिकित्सालय का नाम	नवीन तैनाती चिकित्सालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती मेघा उनियाल	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय गुरूकुल परिसर हरिद्वार	राज0आयु0चि0 रूड़की / हरिद्वार	मूल पद पर समायोजित

1– सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त होकर/कार्यमुक्त होंगे। स्थानातरित कार्मिक धारा–23(12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित समायान्तर्गत अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (JOINING TIME) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।

2– स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3– स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

4– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिवस के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा, जिसके द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया जायेगा।

(डा0 अरूण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2 कुल सचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय मुख्य परिसर हर्रावाला देहरादून।
3 परिसर निदेशक उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय गुरूकुल परिसर हरिद्वार।
4 जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी हरिद्वार।
5 मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी हरिद्वार।
6 सम्बन्धित परिचारिका द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
7 गार्ड फाईल।

(डा0 अरूण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक

Scanned with OKEN Scanner